राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 718/2014

अशोक कुमार जैतवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विभाग, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, करौली।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.09.2014
आदेश की दिनांक : 31.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.सी. जैन, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.11.1977 को मेल नर्स द्वितीय के पद पर राजकीय अस्पताल, हिंडौन सिटी, जिला करौली में हुई थी। अपीलार्थी दिनांक 20.11.2012 को मेल नर्स द्वितीय के पद से सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच लंबित नहीं है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर 15 (पंद्रह) वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की। अपीलार्थी के आवेदन पर राजस्थान सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 50 (1) के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विचार किया जाकर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.11.2012 (अनुलग्नक–1) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई। इस आदेश में अंकित है कि अपीलार्थी के खिलाफ किसी भी प्रकार की विभागीय की जांच लंबित नहीं है। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.11.2012 (अनुलग्नक–2) द्वारा मेल नर्स द्वितीय के पद से कार्यमुक्त कर दिया। अपीलार्थी को पेंशन का लाभ नहीं दिया गया, तो उसने सामान्य अस्पताल हिंडौन सिटी के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को अभ्यावेदन दिनांक 22.03.2013 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी दिनांक 20.11.2012 को मेल नर्स द्वितीय के पद से सेवानिवृत्त हो गया था और अपीलार्थी ने अपनी सेवानिवृत्ति के 15 दिनों के भीतर पेंशन संबंधी सभी दस्तावेज जमा कर दिए, जिससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भेज दिया, लेकिन 4 महीने व्यतीत

होने पर भी पेंशन विभाग ने पेंशन का लाभ नहीं दिया। अतः अपीलार्थी ने 15 दिवस के अन्दर पेंशन का भुगतान जारी करने हेतु कराया जावे (अनुलग्नक–3 एवं 4)। अपीलार्थी ने दिनांक 22.03.2013 (अपील में 22.03.2014 अंकित) को ही प्रिंसिपल, पेंशन विभाग एवं प्रभारी, जिला, पेंशन निस्तारण समिति को भी अभ्यावेदन भेजा (अनुलग्नक–5 एवं 6)। अपीलार्थी ने मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार को एक आवेदन भेज कर पेंशन का भुगतान जारी करने का अनुरोध किया। उपरोक्त आवेदन में अपीलार्थी ने बताया कि 9 माह बीत गये लेकिन अभी तक उसे पेंशन का लाभ नहीं मिला। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उनकी सेवा पुस्तिका गायब हो गई है, विभाग को गायब हुई सेवा पुस्तिका की प्रतिलिपि बनाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन विभाग अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका नहीं बना रहा है और उस परिस्थिति में अपीलार्थी को उसकी पेंशन नहीं मिल सकी है (अनुलग्नक–7)। सभी अभ्यावेदन और आवेदन के बाद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली ने दिनांक 02.04.2013 (अनुलग्नक–8) द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सरकारी अस्पताल, हिंडौन सिटी को एक पत्र भेजा, जिसमें अपीलार्थी की पेंशन के संबंध में अधतन सूचना प्राप्त करने के लिए कहा गया क्योंकि 4 महीने बीत चुके हैं। अपीलकर्ता ने मुख्यमंत्री, राजस्थान को एक पत्र भेजा और उल्लेख किया कि 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी भी अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिला है (अनुलग्नक–9)। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका पेंशन स्वीकृति के लिए दिनांक 02.01.2013 को संयुक्त निदेशक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कोटा को भेजी गई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 3 माह बाद संयुक्त निदेशक, कोटा द्वारा अपीलार्थी को पत्र प्राप्त हुआ कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका डाक एवं तार विभाग, कोटा द्वारा गुम हो गई है, अतः पेंशन हेतु डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका भेजी जावे। पीएमओ, सामान्य चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी ने दिनांक 02.03.2013 को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर को पत्र लिखकर डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार करने के आदेश चाहे गये, लेकिन आज तक आदेश नहीं भेजा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली ने दिनांक 09.07.2023 (अनुलग्नक–10) द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी को पत्र भेजकर प्रमुख अधिकारी को अपीलार्थी के मामले को व्यक्तिगत स्तर पर कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अपीलार्थी ने अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को एक आवेदन कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अस्पताल, हिंडौन को डुप्लिकेट सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (अनुलग्नक–11)। अपीलकर्ता ने निदेशक, मानव अधिकार आयोग विभाग को दिनांक 24.07.2013 (अनुलग्नक–12) द्वारा अपीलार्थी को पेंशन लाभ जारी करने और डुप्लिकेट सेवा पुस्तिका तैयार करने के लिए एक पत्र

लिखा। अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर ने दिनांक 03.09.2013 (अनुलग्नक–13) द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपीलार्थी की डुप्लिकेट सेवा पुस्तिका तैयार करने की अनुमति दी। इतने प्रयासों के बाद, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय ने दिनांक 11.11.2013 (अनुलग्नक–14) द्वारा अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान जारी कर दिया। उक्त आदेश के अनुसार अपीलार्थी को कम्यूटेशन राशि रुपये 4,66,594.00/–, ग्रेच्युटी राशि रुपये 7,77,893/– और एक वर्ष की मासिक पेंशन 2,32,467/– रुपये प्राप्त हुई, जो दिनांक 20.11.2012 को देय हो गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने पेंशन नियम के अनुसार ब्याज का भुगतान नहीं किया, तो अपीलार्थी ने अपने वकील के माध्यम से 2,37,424/– रुपये के ब्याज का भुगतान करने के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करने के लिए न्याय की मांग नोटिस भेजा। लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–15 से 17)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभों के विलंबित भुगतान पर ब्याज को सेवानिवृत्ति लाभों की देय तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान किया जावे तथा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89 के अनुसार 9 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, अपीलार्थी 81,916/– रुपये के कम्यूटेशन पर, 1,36,568/– रुपये की ग्रेच्युटी पर और 18,940/– रुपये की मासिक पेंशन पर ब्याज और कुल ब्याज राशि 2,37,424 रुपये प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी राजकीय चिकित्सालय, हिण्डौनसिटी में कार्यरत था और दिनांक 19.11.2012 को सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी का पैंशन प्रकरण तैयार कर, प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 02.01.2013 के द्वारा स्वीकृति हेतु संयुक्त निदेशक, पेंशनर्स कल्याण विभाग, परिक्षेत्र कोटा भेजा गया था। एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पैंशन प्रकरण स्वीकृत होकर/आक्षेप में प्राप्त नहीं होने पर प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 14.02.2013, 04.03.2013 एवं पत्र दिनांक 23.03.2013 द्वारा पेंशन विभाग को पत्र लिखे गये एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 25.03.2013 द्वारा पेंशन विभाग को पैंशन प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु पत्र जारी करते हुए राजकीय चिकित्सालय, हिण्डौनसिटी को विशेष वाहक पेंशन विभाग भेजकर प्रकरण की स्थिति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कार्मिकों को पैशन विभाग में कार्यरत स्टाफ द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया कि पेंशन विभाग द्वारा अपीलार्थी का प्रकरण रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा आक्षेप में लौटा दिया गया था किन्तु डाक विभाग कोटा से पार्सल गुम हो गया है। कई बार लिखने के उपरान्त पैशन विभाग कोटा के पत्र दिनांक 01.04.2013 द्वारा

प्रत्यर्थी विभाग को सूचित किया कि अपीलार्थी का पैंशन प्रकरण उनके रजिस्टर्ड पार्सल पत्र दिनांक 11.01.2013 द्वारा आक्षेप में लौटाया गया था, जो डाक विभाग द्वारा खो गया है। डाक विभाग द्वारा ढूंढने की कार्यवाही की जा रही है। सम्बन्धित पैंशनर्स की डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका के आधार पर पैंशन प्रकरण तैयार कर पुनः प्रेषित करावें। यदि डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो तो प्रोवीजनल पैंशन प्रकरण तैयार कर भिजवायें। अपीलार्थी की डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी तथा अपीलार्थी द्वारा प्रोवीजनल पैंशन लेने से लिखित रूप से इन्कार कर दिया गया। निदेशालय के पत्र दिनांक 03.09.2013 द्वारा डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका बनाने की स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार करवायी जाकर पत्र दिनांक 11.09.2013 द्वारा पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु पुनः पेंशन विभाग को भिजवाया गया । पैंशन विभाग कोटा द्वारा दिनांक 13–11–2013 को पैशन स्वीकृत की गय । पी.पी.ओ. नम्बर– 778533 (आर) एवं जी.पी.ओ. नम्बर– 811917(आर) के द्वारा पैंशन स्वीकृत की गयी। इस प्रकार से अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में समय–समय पर कार्यवाही सम्पादित की गयी तथा इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलम्ब नहीं किया गया। पैंशन प्रकरण पैंशन विभाग को भेजने की दिनांक से बार–बार लिखने के उपरान्त तीन माह पश्चात् पैंशन विभाग से सेवा पुस्तिका गुम होने की जानकारी प्राप्त हुई थी । प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है ।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन परिलाभों को विलंब से भुगतान किये जाने पर विलंब अवधि पर 9 प्रतिशत दर से ब्याज देने के संबंध में प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड और उभयपक्ष के अभिकथन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक 2011.2012 को राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की गई और अपीलार्थी को दिनांक 11.11.2013 को पीपीओ जारी कर दिया गया एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया गया है। इस विलंब के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का जवाब यह है कि अपीलार्थी का सेवाभिलेख उपलब्ध नहीं होने से डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका तैयार की गई। जिस कारण से पेंशन स्वीकृति में विलंब हुआ है और इस कारण प्रक्रियागत समय लगने से विलंब होना स्वीकार किया गया है। यह स्वीकार्य तथ्य है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 20.11.2012 से लंबी अवधि पश्चात दिनांक 11.11.2013 को लगभग एक साल पश्चात पीपीओ जारी किया गया है एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया गया है। लिहाजा पेंशन नियमों कें तहत

अपीलार्थी विलंब अवधि के लिए 9 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में विलम्ब अवधि के लिए 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान अपीलार्थी को किया जावे। उक्त आदेश की क्रियान्विति तीन माह में सुनिश्चत की जावे।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य